

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

श्रीमती गायत्री बनाम पुराणसाल

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 277/2013

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/06/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती गायत्री देवी

w/o श्री राजसाल देवी

निवासी- आबोल पहाड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

टाढण (पण्डनेवाला पाछली) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 462 सी-

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.3100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी दो आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम टाढण (पण्डनेवाला पाछली) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 462 सी

कुल कीता 1 रकबा 0.3100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500-00 रूपये अक्षरे पांच लक्ष प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

रामचन्द्र खटौकी  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी